

:: आदेश ::

अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०,सि०ख०, पुरोला द्वारा अपने पत्र संख्या 745/पी०एम०-पत्रा० विविध/2020 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा अवगत कराना गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड, मोरी में सौड़ से ओसला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 44.433 हे० भूमि ग्राम औसला के सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गोविन्द वन्य जी विहार/राष्ट्रीय पाक, पुरोला के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 44.433 हे० ग्राम औसला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित)जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी,पुरोला द्वारा अपने पत्र संख्या 139/रा.का. -क्षति० वृक्षा०रो०प्रस्ता०/2020 दिनांक 14 अक्टूबर 2020 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ओसला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 28.100 हे० भूमि के बदले दुगुनी 44.433 हे० वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०,पुरोला का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव मांगा गया के क्रम में तहसीलदार पुरोला/राजस्व उप निरीक्षक गंगाड से जांच करवायी गयी है। तहसीलदार,पुरोला/राजस्व उप निरीक्षक गंगाड द्वारा अपनी जांच आख्या में अवगत कराया गया है, कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण के बदले ग्राम ओसला की नॉन जेड०ए० खाता संख्या-64 उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ड. में दर्ज खसरा सं० 2 रक्वा 5.787हे०,खसरा सं० 49 रक्वा 4.581हे०, खसरा संख्या: 3362 रक्वा 7.031हे०, खसरा संख्या:3449 रक्वा 2.879हे०,खसरा सं०3451 रक्वा 0.255हे०, खसरा सं० 3470 रक्वा 6.620हे०,खसरा संख्या: 3472 रक्वा 4.213हे०,खसरा संख्या:3474 रक्वा 6.440हे०, खसरा संख्या: 3502 रक्वा 4.323हे०, खसरा संख्या:3505 रक्वा 0.304हे०, खसरा संख्या:3772 रक्वा 1.093हे० एवं खसरा संख्या: 3774 रक्वा 1.535 भूमि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि व नक्शे, खसरे एवं खतौनी की प्रति संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी, बडकोट/तहसीलदार, बडकोट से प्राप्त आख्या अनुसार ग्राम ओसला तहसील पुरोला की नॉन ज्येड०ए० खाता संख्या-64 उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की व 9(3)ड. में दर्ज खसरा सं० 2 रक्वा 5.787हे०,खसरा सं० 49 रक्वा 4.581हे०, खसरा संख्या: 3362 रक्वा 7.031हे०, खसरा संख्या:3449 रक्वा 2.879हे०,खसरा सं०3451 रक्वा 0.255हे०, खसरा सं० 3470 रक्वा 6.620हे०,खसरा संख्या: 3472 रक्वा 4.213हे०,खसरा संख्या:3474 रक्वा 6.440हे०, खसरा संख्या: 3502 रक्वा 4.323हे०, खसरा संख्या:3505 रक्वा 0.304हे०, खसरा संख्या:3772 रक्वा 1.093हे० एवं खसरा संख्या: 3774 रक्वा 1.535हे० भूमि प्रस्तावित की गयी है। शासनादेश सं० 260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.02.2002 शासनादेश संख्या:111/XXVII(7)50(39)/2011 2014 दिनांक 09.07.2015 तथा शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II) 2015-18(169)/2015 दिनांक 30

कमला

जुलाई, 2015 में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरण किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। रिट याचिका संख्या 2764/2011 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2017 आच्छादित नहीं है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उक्त भूमि को गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उक्त भूमि को नामान्तरित/हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

दिनांक 21.10.2020

ह0/-मयूर दीक्षित
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

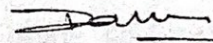
कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या: 767 /ग्यारह-विविध (2020-21)

दिनांक 03 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, पुरोला।
2. निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।
3. तहसीलदार, पुरोला।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0, पुरोला।


अपर जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

3/11/2020

[illegible]